प्रेस विज्ञप्ति

27.04.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने सोना पप्पू, जय एसकामदार ., शांतनु सिन्हा बिस्वास, डीसीपी एवं अन्य के विरुद्ध जांचाधीन धन शोधन मामले में 26.04.2026 को कोलकाता स्थित 3 परिसरों पर आगे और तलाशी संचालित की है। तलाशी के अंतर्गत कल्याण शुक्ला एवं संजय कुमार कनोडिया के परिसरों को सम्मिलित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 10 लाख रुपये नकद, स्वर्ण आभूषण, अपराध संकेती दस्तावेज तथा डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। जब्त दस्तावेज संदिग्ध व्यक्तियों तथा पीईपी रूप राजनीतिक) से प्रभावशाली व्यक्तियों के (हैं। करते संकेत ओर की देन-लेन नकद पर पैमाने बड़े मध्य

पूर्व में, प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19(1) के तहत 19.04.2026 को जय एस. कामदार को गिरफ्तार किया था। वह माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के आगामी आदेशों के अधीन 28.04.2026 तक 9 दिवस की प्रवर्तन निदेशालय अभिरक्षा में है। प्रवर्तन निदेशालय ने 19.04.2026 को कोलकाता एवं बैरकपुर स्थित 6 परिसरों, जिनमें शांतनु सिन्हा बिस्वास, उप पुलिस आयुक्त तथा जय एस. कामदार के आवासीय परिसर भी सम्मिलित थे, पर तलाशी ली थी तथा अपराध संकेती दस्तावेज जब्त किए थे। उनके आवासीय परिसर पर तलाशी के दौरान शांतनु सिन्हा बिस्वास पूरे समय अनुपलब्ध रहे। तत्पश्चात, शांतनु सिन्हा बिस्वास को जांच में सम्मिलित होने हेतु समन जारी किया गया, तथापि वह अब तक प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे हैं।

जांच से उजागर हुआ है कि जय एस. कामदार, सोना पप्पू के निकट संपर्क में था तथा उसके साथ उसके बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन-देन थे। उसने सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार की पत्नी श्रीमती सोमा सोनार पोद्दार को फायरआर्म्स भी उपलब्ध कराए थे; तथापि उन्होंने जय एस. कामदार अथवा उसकी कंपनी से उक्त फायरआर्म्स की खरीद से संबंधित कोई जानकारी का खुलासा नहीं किया। उपर्युक्त के अतिरिक्त, जय एस. कामदार अनेक शेल कंपनियों के माध्यम से व्यापक अवैध अंतरराष्ट्रीय सीमापार तथा घरेलू हवाला लेन-देन में संलिप्त पाया गया है, जिसकी आगे जांच की जा रही है।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच से यह भी उजागर हुआ है कि जय एस. कामदार कोलकाता में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एक न्यास से 40 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि के गबन में प्रमुख रूप से संलिप्त था।

यह उजागर हुआ है कि जय एस. कामदार शांतनु सिन्हा बिस्वास सहित अनेक पुलिस अधिकारियों के निकट संपर्क में था तथा ऐसे अधिकारियों, उनके परिवार के सदस्यों सहित, को लाभ एवं महंगे "उपहार" प्रदान करता था। जांच से यह भी उजागर हुआ है कि जय एस. कामदार का पुलिस अधिकारियों के एक वर्ग के बीच पर्याप्त प्रभाव एवं पकड़ थी तथा उसने इसका दुरुपयोग अनुचित लाभ प्राप्त करने तथा भूमि संबंधी मामलों में असंदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज कराने हेतु किया। जब्त दस्तावेजों एवं डिजिटल साक्ष्यों से यह प्रदर्शित होता है कि जय एस. कामदार तथा उसके सहयोगी वैध मालिकों से मूल्यवान अचल संपत्तियों का अवैध अधिग्रहण करने के उद्देश्य से आदतन, सुनियोजित एवं पूर्वनियोजित आचरण में संलिप्त रहे हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में पूर्व में 01.04.2026 को तलाशी ली थी, जिसमें लगभग **1.47 करोड़ रुपये** नकद तथा लगभग 67.64 लाख रुपये मूल्य के स्वर्ण आभूषण एवं रजत, एक फॉर्च्यूनर वाहन तथा एक लाइसेंस विहीन गन (रिवॉल्वर) सहित अनेक अपराध संकेती दस्तावेज एवं डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। भूमि, भवन आदि के रूप में अनेक अचल संपत्तियों की भी पहचान की गई थी, जो आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अर्जित प्रतीत होती हैं।

प्रवर्तन निदेशालय की पीएमएलए के अंतर्गत अब तक की जांच से यह उजागर हुआ है कि बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू, जय एस. कामदार तथा उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के माध्यम से जबरन वसूली, अचल संपत्तियों पर अवैध कब्जा तथा अनधिकृत भवन निर्माण सहित अवैध गतिविधियों के जरिए अपराध से अर्जित आय उत्पन्न की गई।

आगे की जांच जारी है।